न्यायालय ....

वाद .... बनाम ....

मुकदमा नं. ....

01/11/19 पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 21/11/19 को पेश हो

21/11/19 पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 3/12/19 को पेश हो

3/12/19 पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 9/12/19 को पेश हो Atull उपखण्ड को कार्यवाही

9/12/19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित बहस उभयपक्ष के सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/12/19 को पेश हो।

24/12/19 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। तहसीलदार, धोद की नक्शा सहित प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालनार्थ तहसीलदार धोद को लिखा जावे। पत्रावली केफियत सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जि. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुख्यालय सीकर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं0 57/2018/251 (ए) आरटीए

सुखदेवी पत्नी बीरमाराम उम्र 43 वर्ष जाति जाट निवासी रूपपुरा पटवार हल्का नेतड़वास, तहसील धोद, जिला सीकर

–प्रार्थीया

बनाम

1. मोहनी देवी पत्नी मुन्नाराम
2. हरिराम पुत्र मुन्नाराम
3. बेगाराम पुत्र मुन्नाराम
4. बलबीर पुत्र मुन्नाराम
   समस्त जाति जाट निवासी रूपपुरा पटवार हल्का नेतड़वास, तहसील धोद, जिला सीकर
5. इलाहाबाद बैंक, शाखा सीकर जरिये मैनेजर
6. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कृषि उपज मण्डी, सीकर जरिये मैनेजर
7. एस.बी.बी.जे. बैंक, शाखा कासली जिला सीकर जरिये मैनेजर
8. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कोतवाली रोड़, सीकर जरिये मैनेजर
9. तहसीलदार, धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री भवानी सिंह वकील प्रार्थीया की ओर से
2. श्री विजयसिंह तंवर वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक– 24.12.2019

01. वकील प्रार्थीया की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम रूपपुरा तहसील धोद की सरहद में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 156 रकबा 1.49 हैक्टेयर प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नम्बर 157 रकबा 1.63 हैक्टेयर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की भूमि आपस में सींवा जोड़ लगती हुई है। प्रार्थीया की भूमि में आवागमन हेतु खसरा सं. 157 रकबा 1.63 हेक्टेयर में से रास्ता चालू है व उक्त आवागमन के रास्ते से प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 अपनी–अपनी कृषि भूमियों में आवागमन कर निरन्तर व निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के आवागमन का रास्ता ग्राम नेतड़वास से दुगोली जाने वाली डामरीकरण सड़क के पूर्व की तरफ भूमि खसरा सं. 157 के उत्तरी पश्चिमी दिशा में प्रवेश करते हुये 16 फीट चौड़ा रास्ता अवस्थित है, जो कृषि भूमि खसरा सं. 156 की उत्तरी पश्चिमी सींव में प्रवेश करता है, जो कि आवेदन के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख से प्रदर्शित किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 प्रार्थीया को हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त रास्ते को बंद कर देते थे तथा लोगो की समझाईश से वापिस रास्ता खोल देते थे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Rj4
उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को अपनी भूमियों में मिलाने की फिराक में लगे रहते है। इसलिए यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ। आवेदन न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से आवेदन उचित कोर्ट फीस स्टाम्प पर पेश है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा बंद नहीं किया जावे इसके लिए पाबंद फरमाया जावे तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

02. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 5 ता 9 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से अभिभाषक श्री विजयसिंह तंवर, एड. ने वकालतनामा पेश किया। लेकिन जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/राजस्व/19/243 दिनांक 23.10.2019 के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 ने जवाब न देकर सीधी बहस का निवेदन किया।

03. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने यह कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भूमि के बदले रास्ता दिये जाने में उभयपक्ष सहमत है। उसी अनुरूप रास्ते का आदेश दिया जावे।

04. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया की भूमि में जाने का कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थीया को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है तथा रास्ते के बदले में भूमि देने की बात पर दोनों पक्ष सहमत है।

अतः तहसीलदार, धोद की नक्शा सहित प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 157 में से (नजरी नक्शानुसार बरंग लाल) 04 मीटर लम्बाई व 160 मीटर चौड़ाई के गुणक में 0.0640 हेक्टेयर अर्थात् 640 वर्ग मीटर भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन सिवायचक गै.मु. रास्ता किया जावे एवं उसके बदले में प्रार्थीया के खेत खसरा सं. 156 में से (नजरी नक्शानुसार बरंग नीला) 104 मीटर लम्बाई व 6.16 मीटर चौड़ाई के गुणक में 640 वर्ग मीटर भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज की जावें। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी धोद जि. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.13 11:18:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: